

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 05/2026

GCMS Case No. 2026/5

सायल-

सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल-

धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल,
जाति सिन्धी 45 पीठ का बास पाली,
पुलिस थाना कोतवाली, पाली

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975”

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी, पाली।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।

-:निर्णय:-

दिनांक - 24.02.2026

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 19.12.2025 को गैरसायल धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल, जाति सिन्धी 45 पीठ का बास पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली, के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2015 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	मुकदमा नम्बर	धारा	फैसला दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	475/30.09.2015	13 आरपीजीओ	278/08.10.2015	फैसला 28.10.2015 जुर्म स्वीकार
2	49/29.01.2020	13 आरपीजीओ	20/31.01.2020	फैसला 22.12.2024
3	73/11.02.2020	13 आरपीजीओ	24/14.02.2020	फैसला
4	85/18.02.2020	13 आरपीजीओ	38/37.02.2020	फैसला 05.06.2020 को 50 रुपये जुर्माना
5	104/02.03.2020	13 आरपीजीओ	49/13.03.2020	फैसला 08.02.2021 का 3 पी ओ के तहत प्रताडना एवं 100 रुपये अभियोजन व्यय जुर्माना
6	265/29.07.2020	13 आरपीजीओ	160/31.07.2021	फैसला 12.01.2021 का 3 पी ओ के तहत प्रताडना एवं 200 रुपये अभियोजन व्यय जुर्माना
7	263/21.07.2021	13 आरपीजीओ	179/27.07.2021	दिनांक 18.09.2021 को 05 पी ओ के तहत 100 रुपये अभियोजन व्यय का जुर्माना
8	275/02.08.2021	13 आरपीजीओ	192/10.08.2021	फैसला 26.11.2021 को 3 पी ओ के तहत भर्त्सना व प्रताडना एवं 100 रुपये अभियोजन व्यय का जुर्माना
9	358/02.10.2021	13 आरपीजीओ	267/30.10.2021	फैसला 26.11.2021 जुर्म स्वीकार

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल, जाति



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सिन्धी 45 पीठ का बास पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली निरन्तर दुआ खेलने की प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली, पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि गैर सायल वर्तमान में किसी प्रकार के जुएं के धन्धे में लिप्त नहीं है तथा उक्त प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध गलत तरीके से रजिंशवश बनाये गये हैं। गैर सायल मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है एवं वर्तमान में गैर सायल किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है, इसलिए गैर सायल के विरुद्ध जैर प्रकरण ड्रॉप करावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 85/18.02.2020 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2020 को 50 रूपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करते हुए



बतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गैरसायल के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 104/02.03.2020 में 100 रुपये, मुकदमा नम्बर 265/29.07.2020 में 200 रुपये, मुकदमा नम्बर 263/21.07.2021 में 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल, जाति सिन्धी 45 पीठ का बास पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत 02 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 11.03.2026 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल, जाति सिन्धी 45 पीठ का बास पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल धर्मेन्द्र उर्फ कालु पुत्र श्री झुमरलाल, जाति सिन्धी 45 पीठ का बास पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

